न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–167/12 (201/00067)

01. बिरदी चन्द पुत्र कानाराम **(मृतक दौरान अपील)**
    1/1. सोनीदेवी पत्नी बिरदीचन्द,
    1/2. रूडमल पुत्र बिरदीचन्द,
    1/3. श्रीमती नाथीदेवी पुत्री स्व. बिरदीचन्द,
    1/4. श्रीमती सायरी पुत्री बिरदीचन्द,
    1/5. नाथूराम पुत्र बिरदीचन्द,
    1/6. श्रीमती मन्नीदेवी पुत्र बिरदीचन्द,
02. मंगलचन्द पुत्र श्री कानाराम **(मृतक दौराने अपील)**
    2/1. मोहन पुत्र स्व. मंगलचन्द,
03. भौरीलाल उर्फ भंवरलाल पुत्र स्व. मुरलीधर,
04. रामनारायण पुत्र स्व. मुरलीधर **(मृतक दौराने अपील)**
    4/1. श्रीमती सरजू देवी पत्नी स्व. रामनारायण,
    4/2. सुशीला पुत्री स्व. रामनारायण,
    4/3. मोहनी पुत्री स्व. रामनारायण,
    4/4. गोवर्धन लाल पुत्र स्व. रामनारायण,
    4/5. लक्ष्मी पुत्री स्व. रामनारायण,
    4/6. कर्मा पुत्री स्व. रामनारायण,
05. रामसहाय पुत्र स्व. मुरलीधर, समस्त जाति बागड़ा ब्राहाम्ण निवासी ग्राम बावड़ी, तहसील जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

01 श्रीमती सरजूदेवी पत्नी चौथू, जाति बागड़ा ब्राहाम्ण निवासी खोराबीसल, तहसील आमेर जिला जयपुर।
02. श्रीमती मुरली पत्नी लालू, जाति बागड़ा ब्राहाम्ण निवासी ग्राम राधाशिनपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर।
03. सूजा पुत्रान काना पति स्व. लाडा,
04. बाबू पुत्र स्व. लाड़ा,
05. कल्याण पुत्र स्व. लाड़ा,
06. धन्ना पुत्र स्व. लाड़ा,
07. मोती पुत्र स्व. लाड़ा,
08. पांची पुत्री स्व. श्रीमती लाड़ा समस्त जाति बागडा ब्राहाम्ण निवासी ग्राम खोराबीसल तहसील आमेर, जिला जयपुर।
09. मु. घीसी पत्नी कानाराम बागडा निवासी बावडी तहसील व जिला जयपुर **(नाम हजफ आदेश दिनांक 17.10.17)**
10. मु. रूकमा पत्नी स्व. मुरलीधर, जाति बागडा ब्राहाम्ण निवासी बावडी तहसील जिला जयपुर।

—— रेस्पोडेन्ट्स

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

निर्णय

दिनांकः 08.08.2018

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर के आदेश दिनांक 24.04.2000 (प्रकरण संख्या 60/92) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बगैर किसी सबूत के ही निर्णय अधीन अपील में यह मानने मे भारी न्यायिक भूल की है कि गिरदावर हल्का से वारिसान के सम्बन्ध में रिर्पोट ली जाने से यह जाहिर होता है कि कम से कम नामान्तरकरण पटवारी हल्का से भराये जाने का अपीलान्ट को ज्ञान था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण दिनांक 31.07.91 को भरा है, गिरदावर हल्का कि रिपोर्ट दिनांक 11.11.91 की है, गिरदावर हल्का ने अपीलान्ट को काई सूचना नही दी, किसी भी प्रकार नही सुना अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने आदेश अधीन अपील दिनांक 03.12.91 पारित करने के पूर्व तथा उस दिनांक के लिये कोई सूचना नही दी व सुनवाई का अवसर नही दिया, निर्णय अधीनस्थ न्यायालय मनमाना तथा न्याय शास्त्र के विपरित है, जो निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय तहसीलदार ने अपीलान्ट को बगैर किसी प्रकार की सूचना व सुनवाई तथा सबूत का अवसर दिये ही आदेश अधीन अपील दिनांक 03.12.91 पारित किया है, इस कारण अपीलान्ट अपने सुनवाई व सबूत के वैंधानिक अवसर से वंचित रहे है तथा उनके हित में निष्पादित वसीयत को विचारण न्यायालय में प्रस्तुत नही कर सके है, अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दू पर कतई गौर व विचार किये बगैर ही सरसरी व मनमाना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट श्रीमती घासी, श्रीमती मुरली व श्रीमती रूकमा ने जो कि मृतक खातेदार की बेवा व पुत्री तथा पुत्रवधु है, ने प्रस्तुत वसीयत का निष्पादित होना तथा अपील स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 19.12.94 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, अधीनस्थ्ज्ञ न्यायालय ने इस पर भी कोई विचार व मनन किये बगैर ही मनमाना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में तहसीलदार ने वादग्रस्त आराजीयात के सम्बन्ध में कानूनी वारिसान की जॉच ही नही की है, उक्त विचारण न्यायालय ने उक्त कानूनी वरिसान को जॉच के लिये अपीलान्ट का कभी कोई सूचना व सुनवाई आदि का अवसर ही नही दिया है, यदि सुनवाई का व सबूत का अवसर दिया जाता तो अपीलान्ट्स अपने हित में निष्पादित वसीयत मृतक खातेदार प्रस्तुत कर देते अधीनस्थ न्यायालय ने अपील की यह मान्यता पत्रावली उपलब्ध सामग्री के विपरित है इसलिये आदेश अधीन अपील निरस्तनीय है।

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त व प्रकृतिक कानून व न्याय के विपरित पारित किया गया है जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय ने अपील में किसी भी प्रकार के विचार व मनन किये बगैर ही निर्णय अधीन अपील पारित किया है इसलिये हरदो निर्णय निरस्तनीय है, अधीनस्थ न्यायालय आदेश हर दो आरबीट्रेरी परर्वस तथा कानून के विपरित है, जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर हरदो निर्णय अधीन अपील अपास्त फरमाये जावें तथा मृतक का नामान्तरकरण केवल अपीलान्ट्स के नाम खोले जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 8 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट्स को वादग्रस्त नामान्तरकरण की जानकारी पूर्व से ही रही है तथा अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सरासर मियाद बाहर प्रस्तुत की गई थी तथा उन्होने अपील देरी से पेश करने का कोई उचित कारण नही लिखा है जबकि प्रार्थना पत्र में प्रत्येक दिन–प्रतिदिन के विलम्ब का कारण दिया जाना कानून आवश्यक होता है। उन्होने कथन किया है कि अपीलान्ट्स के प्रार्थना पत्र पर ही नामान्तरकरण भरा गया है, नामान्तरकरण भरते समय और स्वीकृत करते समय कोई वसीयत नही थी, भू–अभिलेख निरीक्षक ने मृतक के पुत्रीयॉ भी होना वर्णन किया है, तहसीलदार ने बाकायदा जॉच में यह पाया है कि मृतक के पुत्रीयॉ भी है और ऐसी स्थिति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत सही रूप से निर्णय पारित किया गया है। उन्होने कथन किया है कि अपीलान्ट का यह कथन सरासर गलत है कि मृतक काना ने अपने मरने से पूर्व दिनांक 10.06.1990 को वसीयत की है और उस वसीयत के तहत केवल अपीलान्ट्स ही मालिक है जबकि तथाकथत वसीयत फर्जी व नुमाइशी है क्योंकि यदि वसीयत होती तो अपीलान्ट्स वसीयत की रूह में नामानतरकरण खुलवाने का पयास करते , अपीलान्ट क्षरा तहसीदार के समक्ष वसीयत प्रस्तुत नही की गई जिससे जाहिर होता है कि वसीयत तो बाद मे सोची–समझी एक चाल है जिको अनुचित रूप से आधार बनाकररेस्पोडे नट का हक हड़पना चाहते है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 लगायत 8 ने कथन किया है कि यदि अपीलान्ट्स वसीयत के आधार पर अधिकार चाहते है तो इसके लिये उन्हे नियमित वाद प्रस्तुत करके ही प्राप्त कर सकते है, नामान्तरकरण की कार्यवाही केवल एक फिस्कल कार्यवाही है जिसमें किसी भी पक्षकार के हक, हकूक अधिकार तय नही होते है। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान को सुनवाई का समूचित अवसर देते हुए ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.04.2000 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी गलती नही की गई। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं नामान्तरकरण संख्या 151 की छाया प्रति के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी के मृतक खातेदार कानाराम की मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र चस्पा किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र खातेदार के वारिसान की ओर से ही प्रस्तुत किये जाने पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण संख्या 151 भरा गया है तथा गिरदावर हल्का द्वारा मृतक खातेदार के पुत्रीयॉ होने की रिपोर्ट दिनांक 11.11.91 को की गई है तत्पश्चात् तहसीलदार जयपुर द्वारा गिरदावर हल्का की वारिसान की रिपोर्ट के आधार पर मृतक खातेदार कानाराम के सभी वारिसान के नाम नामान्तरकरण संख्या 151 दिनांक 03.12.1991 को स्वीकार किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है तथा यह भी जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी बाबत किसी प्रकार की कोई वसीयत पूर्व में होती तो निश्चित रूप से नामान्तरकरण भरते समय उक्त वसीयत तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण संख्या 151 वाके ग्राम बावडी पर तहसीलदार जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.12.1991 में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रृटि होने के कारण एवं उक्त नामान्तरकरण को अनुचित ठहराये जाने के ठोस कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नही होने से ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.04.2000 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.04.2000 को यथावत रखा जाता है।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 08.08.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर